प्रेस नोट दिनाँक-20.11.2022

(1). दिनाँक-20.11.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया । पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया।

(2). आज दिनांक 20.11.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन्न, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को।जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(3). आज दिनांक 20.11.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी यातायात श्री एस0पी0 सोनकर के पर्यवेक्षण में यातायात जनजागरूकता अभियान के क्रम में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु एवं आम जनमानस को यातायात नियमों की जानकारी एवं जागरूक करने हेतु प्रभारी निरीक्षक यातायात मनोज कुमार, टीएसआई योगेश कुमार एवं यातायात पुलिसकर्मियों द्वारा ब्लैक स्पॉट पर जाकर आम जनमानस एवं वाहन चालकों को यातायात नियमों से अवगत कराकर सड़क दुर्घटनाओं से बचने हेतु जागरूक किया गया । तथा सड़क पर लगे साइनेज बोर्ड के बारे में जानकारी दी गई एवं सभी नागरिकों को सड़क पर चलते समय यातायात नियमों का पालन करने एवं सुरक्षित यात्रा करने हेतु जागरूक किया गया। 02/04 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट/सीट बेल्ट लगाने हेतु बताया गया तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने हेतु बताया गया।

(4). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना भरतकूप श्री दुर्गेश प्रसाद गुप्ता के मार्गदर्शन में वरि0उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 140/2022 धारा 457/380 भादवि0 के वाँछित अभियुक्त 1. चुन्नू उर्फ साहबदीन पुत्र राममनोहर 2. पुरूषोत्तम पुत्र संतोष 3. अश्वनी कुमार पुत्र राजकुमार 4. मोहन पुत्र तिजोल निवासीगण रौली कल्याणपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किया गया 04 किलो तार तांबे का, 07 HP मोटर की बॉडी, 05 HP मोटर की बा◌ॅडी के टुकड़े, 01 अदद रोटर बरामद किया गया । बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि0 की बढो़त्तरी की गयी ।

बरामदगीः-

04 किलो तार तांबे का, 07 HP मोटर की बॉडी, 05 HP मोटर की बा◌ॅडी के टुकड़े, 01 अदद रोटर

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. वरि0उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह थाना भरतकूप

2. मुख्य आरक्षी त्रिलोकीनाथ मिश्रा
3 .आरक्षी सौरभ राजपूत
4. आरक्षी चालक शफीक अहमद

(5). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 04 अभियुक्तों को 30 लीटर कच्ची शराब व 41 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया।

(i). वरि0उ0नि0 श्री कृपानन्दन शर्मा थाना बरगढ़ तथा उनके हमराही आरक्षी संतोष कुमार यादव द्वारा अभियुक्त लालजी उर्फ दिलवर पुत्र हरीलाल निवासी ललई थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 20 लीटर कच्ची शऱाब के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना बरगढ़ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ii). आरक्षी चन्दन विश्वकर्मा व आरक्षी अखिलेश चौहान थाना बरगढ़ द्वारा अभियुक्त विनय कुमार पुत्र अशोक सिंह निवासी कटैयाडांडी थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 20 अदद क्वार्टर देशी शराब मस्तीहू ब्राण्ड के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना बरगढ़ में धारा 60 आबकारी अधिनियम अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iii). उ0नि0 श्री हरिश्चन्द्र मिश्रा चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग तथा उनके हमराही आरक्षी रविन्द्र कुमार एवं आरक्षी शिवम मिश्रा द्वारा अभियुक्त रामगोपाल पुत्र श्रीकेशन निवासी वार्ड नं0 12 रजौला रघुराज नगर एमजीजीबी सतना म0प्र0 को 21 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iv). उ0नि0 श्रीरामाश्रय प्रसाद थाना कोतवाली कर्वी तथा उनके हमराही आरक्षी वीरपाल सिंह द्वारा अभियुक्त राजू पुत्र छोटेलाल सोनकर निवासी खटकाना शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(6). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा लमियारी पुल के पास से अभियुक्त 1. इमामुलहक उर्फ अशध पुत्र लल्लन निवासी पठन का पुरवा थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी 2. सुमित कुमार गौतम पुत्र सूरज पाल निवासी मूरतगंज बस स्टाप थाना कौखराज जनपद कौशाम्बी को डीसीएम टाटा वाहन संख्या UP64 BT 2878 में 07 अदद बैल ठूस-ठूस कर भरकर गौवध के लिए ले जाते समय गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से लोहे की 01 अदद चापण व 01 अदद रेती बरामद की गयी। अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि वाहन स्वामी धनराज सिंह पुत्र मेलर सिंह निवासी पसऊली सहिजान कलस रोबर्टसगंज जनपद सोनभद्र गौवंशों को वाहन में लदवाकर भाग गया है। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना सरधुवा में मु0अ0सं0 66/2022 धारा 3/5ए/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11घ पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

1. डीसीएम टाटा वाहन संख्या UP64 BT 2878
2. 07 अदद बैल

3. लोहे की चापण
4. 01 अदद रेती

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. थानाध्यक्ष सरधुवा श्री प्रवीण कुमार सिंह
2. उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी
3. उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता
4. आरक्षी बब्बू राजा
5. आरक्षी अमित सिंह

(7). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री गुलाबचंद्र सोनकर एवं पैरोकार आरक्षी महेश्वरीदीन द्वारा मुकदमें में कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री श्याम सुंदर मिश्रा द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणामस्वरुप जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विष्णु कुमार शर्मा द्वारा एसटी0 नम्बर 75/2012 धारा 323/34,504 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. सुरेश, 2. भोंडी पुत्रगण कोदू 3. मुन्ना पुत्र अवधेश निवासीगण पिपरोही का पुरवा सेमरदहा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट एसटी नम्बर 28/2019 के आरोपी अभियुक्त अवधेश पुत्र कोदू निवासी पिपरोही का पुरवा सेमरदहा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को दोषी पाते हुए एक वर्ष की परिवीक्षा व 02-2 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(8). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कर्वी श्री अवधेश कुमार मिश्रा एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी बाबूलाल द्वारा मुकदमें में कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। विशेष लोक अभियोजक श्री जगतपाल द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणामस्वरुप विशेष न्यायाधीश एससी0/एसटी0 एक्ट श्री दीपनारायण तिवारी (एच0जे0एस0) द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 378/2012 धारा 147,323/34,325/34,427 भादवि व धारा 3(1)(x) एससी एसटी एक्ट के आरोपी अभियुक्तों 1. झग्गी कुशवाहा पुत्र चुन्नी लाल 2.श्रीमती विद्या देवी पत्नी नत्थू कुशवाहा3. नत्थू कुशवाहा पुत्र चुन्नी लाल 4. मैकू उर्फ धर्मपाल कुशवाहा पुत्र झग्गी कुशवाहा निवासीगण रानीपुर भट्ट चौकी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 8000-8000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।